



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 7 दिसम्बर, 1974

अग्रहायण 16, 1896 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

त्रिधातिका अनुभाग-1

संख्या 4472 / सत्रह-वि-1-70-74

लखनऊ, 7 दिसम्बर, 1974

अधिसूचना

विधि

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 का अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 5 दिसम्बर, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 का अप्रति संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में:—

उ० प्र० अधि-
नियम सं० 17,
1962 की धारा
2 का संशोधन

(1) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“(छछ) ‘निदेशक’ का तात्पर्य प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत धारा 22-क से 22-छ के प्रयोजनार्थ निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई ऐसा अधिकारी भी है जो उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पद से नीचे का, न हो।”

(2) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

“(ज) किसी सम्बद्ध संस्था के सम्बन्ध में, ‘प्रबन्धतंत्र’ अथवा ‘प्रबन्ध समिति’ का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति अथवा अन्य निकाय से है जिसे उस संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने का भार सौंपा गया हो।”

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 को पुनः संख्यांकित करके उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप धारा (1) में, खण्ड (19) में शब्द “शिक्षा निदेशक” के स्थान पर शब्द, “शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)” रख दिये जायं,

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

“(2) उपधारा (1) के खण्ड (16), (17), (19), (20) और (22) में उल्लिखित सदस्य परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो, यथास्थिति, उप मुख्य अभियन्ता या उप निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उस विशिष्ट बैठक की, जिसके लिये वे प्रतिनियुक्त किये जायें, कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार होंगे और ऐसी बैठक में मत देने के भी हकदार होंगे।”

नई धारा 22-क से 22-छ तक का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

“22-(क)—(1) किसी विधि, लेख्य या डिग्री या न्यायालय के किसी आदेश या अन्य प्रशासन योजना संलेख में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिये चाहे वह उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् सम्बद्ध हुआ हो, एक प्रशासन योजना होगी।

(2) प्रशासन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी प्रबन्ध समिति संघटित करने की व्यवस्था होगी जिसमें सम्बद्ध संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा संचालन करने का प्राधिकार निहित होगा।

(3) सम्बद्ध संस्था का प्रधानाचार्य प्रबन्ध समिति का पदेन सदस्य होगा जिसे मत देने का अधिकार होगा।

(4) सम्बद्ध संस्था का प्रधानाचार्य उस दशा में प्रबन्ध समिति की बैठक में न तो उपस्थित होगा और न मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा जब कभी उसके व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्धित आरोप पर विचार-विमर्श किया जा रहा हो।

(5) प्रशासन योजना में, किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य और प्रबन्ध समिति की अपनी-अपनी शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का भी वर्णन होगा।

(6) यदि एक से अधिक सम्बद्ध संस्था एक ही निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनु रक्षित हो तो प्रत्येक ऐसी संस्था के लिये, जब तक किसी वर्ग की सम्बद्ध संस्थाओं के लिये विनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, एक पृथक प्रबन्ध समिति होगी।

(7) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदनाधीन होगी और ऐसी योजना में निदेशक के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना किसी समय न तो कोई संशोधन और न कोई परिवर्तन किया जायगा।

(8) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था का प्रबन्ध इस धारा और धारा 22-ख तथा 22-ग के अधीन तथा उनके अनुसार बनाई गई प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

22-(ख)—(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के दिनांक को पहले से ही सम्बद्ध संस्था की दशा में प्रशासन योजना का एक अर्ध-प्रशासन प्रारूप उक्त प्रारम्भ से छः मास के भीतर धारा 22-ग के अनुसार तैयार किया जायगा और निदेशक को उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायगा तथा अन्य सभी मामलों में सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायगा।

(2) यदि कोई ऐसी संस्था जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के समय पहिल से ही सम्बद्ध हो, व्यवस्थित अवधि के भीतर उप धारा (1) के उपबन्धों

का अनुपालन करने में चूक करती है तो निदेशक ऐसी संस्था को एक नोटिस भेजेगा जिसमें उससे तीन मास की अग्रेतर अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पूर्व सम्बद्ध संस्था द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने पर निदेशक स्वविवेक से, अवधि को अग्रेतर तीन मास के लिये बढ़ा सकता है ।

(3) यदि योजना अनुमत समय के भीतर प्रस्तुत न की जाय तो निदेशक धारा 22-घ की उपधारा (3) के खण्ड (क) या (ख) के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

22-ग--(1) प्रशासन योजना का अनुमोदन करने के लिये सिद्धांतों को नियंत्रित करने वाले प्रशासन योजना विनियमों के अधीन रहते हुए, निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जैसी विनियमों में के प्रारूप का निर्दिष्ट की जाय, या तो धारा 22-ख के अधीन प्रस्तुत की गई प्रशासन योजना के अनुमोदन प्रारूप का अनुमोदन करेगा या उसमें किसी परिवर्तन अथवा परिष्कार का सुझाव देगा ।

(2) यदि निदेशक उप धारा (1) के अधीन प्रशासन योजना के प्रारूप में किसी परिष्कार का सुझाव दे तो वह उसके लिये अपने कारणों को बताते हुए, उसकी एक प्रति सम्बद्ध संस्था को भेजेगा और ऐसी संस्था को, ऐसी समयावधि के भीतर जैसी विनियमों में निर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक विनियमों में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर योजना के प्रारूप में किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो योजना का प्रारूप अनुमोदित समझा जायगा ।

(3) निदेशक उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना का अनुमोदन उसके मूल रूप में अथवा उक्त उपधारा के अधीन सुझाये गए परिष्कार के रहते हुए अथवा किसी अन्य परिष्कार के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो, कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिष्कार का प्रस्ताव करे तो वह सम्बद्ध संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर जैसी विनियमों में निर्दिष्ट हो, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा ।

22-घ--(1) निदेशक किसी सम्बद्ध संस्था का समय-समय पर निरीक्षण करा सकता है ।

सम्बद्ध संस्था
का निरीक्षण तथा
त्रुटियों का
निराकरण

(2) निदेशक निरीक्षण के समय अथवा अन्य प्रकार से पाई गई किसी त्रुटि या कमी का निराकरण करने के लिये किसी सम्बद्ध संस्था के प्रबन्धतंत्र को निदेश दे सकता है ।

(3) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में चूक करे तो निदेशक, प्रबन्धतंत्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्—

(क) सम्बद्धता वापस लेने के लिये मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है, या

(ख) उप धारा (4) के अधीन सम्बद्ध संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है ।

(4) यदि उप धारा (3) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सिफारिश के प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उस संस्था का प्रबन्ध किसी प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और वह प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपवर्जित कर संस्था का प्रबन्ध जिसके अन्तर्गत संस्था की अथवा उसमें निहित भूमि, भवन, निधि तथा अन्य परिसंपत्तियां भी हैं अपने हाथ में ले सकता है, और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले जो उसे, केवल ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हूयें, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां तथा प्राधिकार होंगे जो प्रबन्ध समिति को होते यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता ।

(5) वह अवधि जिसके लिये उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश दिया जा सकता है, प्रथमतः एक वर्ष से अधिक न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था का समुचित प्रबन्ध बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इष्टकर है तो वह समय-समय पर आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक

वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसा वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के पर्वतन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत उप धारा (4) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्षों से अधिक न हो :

अपेक्षित प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रबन्ध समिति न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध अपने हाथ में तब तक रखेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबन्ध समिति विधि पूर्वक संघटित हो गई है :

अपेक्षित प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उप धारा (4) या इस उप धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी समय विरुद्धित कर सकती है ।

(6) कोई व्यक्ति जो उप धारा (4) के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में अपने द्वारा सद्भावना से किये गये कृत्यों के लिये वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी न होगा ।

(7) उपधारा (4) के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश संस्था के प्रबन्ध तथा नियंत्रण (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) से सम्बन्धित अथवा संस्था की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या संलेख में तत्सम्बन्धी कोई असंगत बात अंतर्विष्ट होने पर भी प्रभावी होंगे ।

(8) उप धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सम्बद्धता वापस लेने के लिये परिषद् द्वारा दिये गये किसी आदेश और उप धारा (4) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(9) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी और उनका अल्पीकरण करने वाली न होंगी ।

22-छ—(1) प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तथा अध्यापकों की अर्ह-अध्यापकों की ताय विनियमों द्वारा निर्धारित की जायेगी :
नियुक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके अनुभव, शिक्षा तथा अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है ।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का चयन करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति संघटित की जायेगी जिसमें ऐसी संस्था का अध्यक्ष उसका पदेन सदस्य होगा ।

(3) किसी सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य का चयन करने के लिये इसी प्रकार तीन सदस्यों की एक चयन समिति होगी, जिसमें से एक व्यक्ति उप धारा (4) में अभिविष्ट संभागीय पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा चुना गया ऐसा व्यक्ति होगा जो उस जिले का न हो जहाँ सम्बद्ध संस्था स्थित हो ।

(4) निदेशक उप धारा (3) में अभिविष्ट चयन समिति में नाम निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये प्रत्येक संभाग के निमित्त व्यक्तियों का एक पैनल बनायेगा ।

(5) उपधारा (2) तथा (3) में अभिविष्ट चयन समिति का संघटन उसकी बैठकों में कार्य संचालन, संभागीय पैनलों का तैयार किया जाना तथा अन्य विषय विनियमों द्वारा विनियमित ।

22-च (1) एतदपश्चात् निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी सम्बद्ध प्रधानाचार्य तथा संस्था में प्रधानाचार्य या अध्यापक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया अध्यापक के चयन जायगा जब तक कि—
की प्रक्रिया

(क) विनियमों में निर्धारित अर्हतायें उसके पास न हों अथवा उसे धारा 22-छ की उपधारा (1) के अधीन ऐसी अर्हताओं से छूट न दी गई हो,

(ख) उसके लिये उक्त धारा की उपधारा (2) या उपधारा (3), जैसी भी दशा हो, के अधीन संघटित चयन समिति द्वारा सिफारिश न की गई हो और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक का यह समाधान हो जाय कि किसी सम्बद्ध संस्था के लिये कोई ऐसा अभ्यर्थी जो विनियमों द्वारा निर्धारित सभी अर्हतायें रखता हो, नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है, तो वह सम्बद्ध संस्था को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति अस्थायी रूप में नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है :

है : अप्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष की ऐसी अवधि निदेशक के पूर्वानुमोदन से बढ़ाई जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि छुट्टी की रिक्ति अथवा सम्बद्ध संस्था के सत्र के किसी भाग के लिये होने वाली किसी रिक्ति की दशा में कोई प्रधानाचार्य या अध्यापक नियुक्त करना प्रबन्ध समिति के लिये विधिपूर्ण होगा, और उस दशा में ऐसी नियुक्ति की सूचना निदेशक को तत्काल ही जायेगी ।

(2) चुने गये अभ्यर्थी का नाम अनुमोदन के लिये निदेशक को सूची के साथ भेजा जायेगा जिसमें उन सभी अभ्यर्थियों के जिन्होंने चयन के लिये आवेदन-पत्र दिया हो, नाम, अर्हतायें तथा ऐसे अन्य व्योरे होंगे, जो विनियमों द्वारा निर्धारित किये जायें ।

(3) निदेशक, उपधारा (2) में उल्लिखित संगत पत्रादि की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर अपना निर्णय देगा । ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि अनुमोदन दे दिया गया है ।

(4) यदि निदेशक उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित किसी नाम का अनुमोदन उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, न करे तो प्रबन्धतंत्र-अनुमोदन की प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है जिसका उस विषय में निर्णय अन्तिम होगा ।

(5) यदि उपधारा (2) के अधीन की गयी सिफारिश, अनुमोदित कर दी गई हो और उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र का अभ्यावेदन, यदि कोई हो, स्वीकार कर दिया गया हो तो चयन समिति धारा 22-ड तथा इस धारा में व्यवस्थित रीति से अनुमोदन के लिये दूसरे नाम का चयन और सिफारिश करने की कार्यवाही करेगी ।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किया गया चयन पुनः अनुमोदित कर दिया जाय और अनुमोदन के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, स्वीकार न किया गया हो तो निदेशक रिक्ति के लिये आवेदन-पत्र देने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति अन्तिम होगी ।

22-छ--(1) कोई प्रधानाचार्य या अध्यापक, निदेशक की लिखित पूर्ण अनुज्ञा के बिना, न अध्यापकों की पद-च्युति या हटाया जाना आदि तो सेवा से उन्मुक्त या हटाया या पदच्युत किया जा सकता है, न पंक्तिच्युत किया जा सकता है, न उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है और न उस पर सेवा समाप्त करने की नोटिस तामील की जा सकती है । निदेशक का निर्णय ऐसी अवधि के भीतर जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, संसूचित किया जायेगा ।

(2) निदेशक इण्ड का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकता है अथवा उसे घटा या बढ़ा सकता है या प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तावित सेवा की समाप्ति की नोटिस का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी इण्ड की दशा में आदेश देने के पूर्व, निदेशक प्रधानाचार्य या अध्यापक को नोटिस की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर यह कारण बताने का अवसर देगा कि प्रस्तावित इण्ड का अनुमोदन क्यों न कर दिया जाय ।

(3) इस धारा की कोई बात किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसकी ध्यान में रखते हुए निलम्बन के किसी आदेश पर लागू न होगी ।

5—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उप धारा (2) में—

(1) खण्ड (जा) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और सर्वत्र से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

“(जा) सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यापक और गैर अध्यापक वर्ग के सदस्यों की अर्हतायें, सेवा की शर्तें, वेतनक्रम तथा संख्या,”

(2) खण्ड (ब) में, अन्त में आया हुआ शब्द “और” निकाल दिया जाय तथा उक्त खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

“(द क) प्रधानाचार्य तथा प्रबन्ध समिति की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य;

(द ख) सिद्धांत, जिसके अन्तर्गत किसी प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जा सकता है;

(द ग) समयावधि, जिसमें धारा 22-ग की उपधारा (2) के अधीन निदेशक को अभ्यावेदन दिया जा सकता है;

(द घ) समयावधि, जिसकी समाप्ति पर किसी प्रशासन योजना के प्रारूप को धारा 22-ग की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जायेगा ;

धारा 23 का संशोधन

(द ड) समयावधि, जिसमें धारा 22-ग की उपधारा (3) के प्रतिव्यवहारक खण्ड के अधीन किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा अभ्यावेदन दिया जा सकता है;

(द च) धारा 22-ड की उपधारा (2) तथा उपधारा (3) में अभिविष्ट चयन समिति का संघटन, उनकी बैठकों में कार्य संचालन और सम्भागीय बैठकों का तैयार किया जाना ;

(द छ) धारा 22-च की उपधारा (2) के अधीन निदेशक को अग्रसारित किये जाने वाले विवरण ;

(द ज) सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को नियुक्ति और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित समस्त विषय ।

No. 4472/XVII-V-1-76-74

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 85 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 5, 1974 :

THE UTTAR PRADESH PRAVIDHIK SHIKSHA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 1974

[U. P. ACT No. 35 OF 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974.

Amendment of section 2 of the U. P. Act, XVII of 1962.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962, hereinafter referred to as the principal Act—

(i) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely—

“(gg) ‘Director’ means the Director of Technical Education, Uttar Pradesh and includes for the purposes of sections 22-A to 22-G, any officer not below the rank of Deputy Director, Technical Education authorized by the Director in that behalf;” ;

(ii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely—

“(hh) ‘Management’ or ‘Committee of Management’, in relation to an affiliated institution, means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of that institution;”

Amendment of section 4.

3. Section 4 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and—

(a) in sub-section (1) as so re-numbered, in clause (xix), for the words ‘Director of Education’, the words ‘Director of Education (Secondary Education)’ shall be substituted;

(b) after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2) The members mentioned in clauses (xvi), (xvii), (xix), (xx) and (xxii) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Board themselves, depute any officer subordinate to them not below the rank of Deputy Chief Engineer or Deputy Director, as the case may be, and the officers so deputed shall be entitled to take part in the proceedings of the particular meeting for which they are deputed and shall also be entitled to vote at such meeting.”

4. After section 22 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

Insertion of new sections 22-A to section 22-G.

“22-A. (1) Notwithstanding anything in any law, document or decree or order of a court or other instrument, there shall be a Scheme of Administration for every institution whether affiliated before or after the commencement of the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974.

(2) The Scheme of Administration shall, amongst other matters, provide for the constitution of a Committee of Management vested with authority to manage and conduct the affairs of the affiliated institution.

(3) The Principal of the affiliated institution shall be *ex officio* member of the Committee of Management with a right to vote.

(4) The Principal of the affiliated institution shall neither attend the meeting of the Committee of Management nor shall he exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.

(5) The Scheme of Administration shall also describe, subject to any regulations, the respective powers, duties and functions of the Principal and the Committee of Management in relation to the affiliated institution.

(6) Where more than one affiliated institution is maintained by a body or authority, there shall be a separate Committee of Management for each such institution, unless otherwise provided in the regulations for any class of affiliated institutions.

(7) The Scheme of Administration of every affiliated institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to or change in such scheme shall be made at any time without the prior approval of the Director in writing.

(8) Every affiliated institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with this section and sections 22-B and 22-C.

22-B. (1) In the case of an institution already affiliated at the date of commencement of the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974, a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director for his approval in accordance with section 22-C within six months from the said commencement and in all other cases along with the application for affiliation.

(2) Where an institution which has already been affiliated at the commencement of the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974, fails to comply with the provisions of sub-section (1) within the period provided therefor, the Director shall send a notice to such institution requiring it to submit the Scheme of Administration within a further period of three months:

Provided that on a representation by the affiliated institution prior to the expiry of the extended period, the Director may, in his discretion, allow a further extension for a period of three months.

(3) If the scheme is not submitted within the time allowed, the Director shall take action in accordance with clause (a) or clause (b) of sub-section (3) of section 22-D.

22-C. (1) Subject to the regulations governing the principles for Approval of the according approval to the Scheme of Administration, draft Scheme of the Director shall, within such period of time as may Administration. be specified in the regulations, either approve the draft Scheme of Administration submitted under section 22-B or suggest any alteration or modification therein.

(2) Where the Director suggests any modification in the draft Scheme of Administration under sub-section (1), he shall send a copy of the same to the affiliated institution giving his reasons therefor and affording an opportunity to such institution to make a representation, within such period of time, as may be specified in the regulations:

Provided that in case the Director does not suggest any alteration or modification in the draft Scheme within the period specified in the regulations, draft Scheme shall be deemed to have been approved.

(3) The Director shall consider any representation made in accordance with the provisions of sub-section (2) and may approve the Scheme of Administration in its original form, or subject to the modification suggested under the said sub-section or with any other modification as may appear to him to be just and proper :

Provided that where the Director proposes to make a new modification in the Scheme of Administration, he shall provide an opportunity to the affiliated institution to make a representation to him within such period of time as may be specified in the regulations. *

22-D. (1) The Director may cause an affiliated institution to be Inspection of inspected from time to time.
affiliated insti-
tution and re-
moval of defects.

(2) The Director may direct the Management of an affiliated institution to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.

(3) Where the Management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may, after considering the explanation or representation, if any, given or made by the Management—

(a) refer the case to the Board for withdrawal of affiliation; or

(b) recommend to the State Government to proceed against the affiliated institution under sub-section (4).

(4) If on receipt of a recommendation referred to in clause (b) of sub-section (3), the State Government is satisfied that in the interest of the institution it is necessary that the Management of that institution be handed over to an Authorized Controller, the State Government may by an order, for such period as may be specified in the order, appoint an Authorized Controller and that Authorized Controller may take over the management of the institution including management of the land, buildings, funds and other assets belonging to or vested in the institution to the exclusion of the Committee of Management or any other person, and whenever the Authorized Controller so takes over the management, he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose, have in relation to the management of the institution all such powers and authority as the Committee of Management would have if no order were made under this sub-section.

(5) The period for which an order may be made under sub-section (4) shall not exceed one year in the first instance:

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution, it may from time to time extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of the operation of the order, including the period specified in the initial order under sub-section (4) does not exceed five years :

Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the Authorized Controller shall continue to keep the management in his hands until the State Government is satisfied that the Committee of Management has been lawfully constituted :

Provided further that the State Government may at any time revoke an order made under sub-section (4) or under this sub-section.

(6) No person who is appointed Authorized Controller under section (4), shall be personally liable for acts done by him in good faith in performance of the duties entrusted to him.

(7) Any order made or directions given under sub-section (4) shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution (including any Scheme of Administration) or relating to the property belonging to or vested in the institution.

(8) No order made by the Board withdrawing affiliation under clause (a) of sub-section (3) and no order made under sub-section (4) shall be called in question in any court.

(9) The powers conferred by this section shall be in addition to and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the Authorized Controller under any other law.

22-E. (1) Qualifications for appointment as Principal and of teachers shall be laid down by regulations:
Appointment of teachers.

Provided that the Board may, after considering the report of the Director, exempt any person from the requirement of minimum qualifications having regard to his experience, education and other attainments.

(2) There shall be constituted in every affiliated institution a selection committee with the head of such institution as an *ex officio* member thereof, for the purpose of selecting candidates for appointment as teacher in the affiliated institution.

(3) For the selection of Principal of an affiliated institution, there shall likewise be constituted a selection committee of three members one of whom shall be a person not belonging to the district in which the affiliated institution is located, selected by the Committee of Management out of the regional panel referred to in sub-section (4).

(4) The Director shall prepare for each region a panel of persons to act as nominated members in the selection committee referred to in sub-section (3).

(5) The constitution of the selection committee referred to in sub-sections (2) and (3), the conduct of business at their meetings, the preparation of regional panels and other matters shall be regulated by regulations.

22-F. (1) Subject to the provisions hereinafter specified, no person shall be appointed as Principal or teacher in an affiliated institution unless he—
Procedure of selection of Principal and teacher.

(a) possesses the qualifications laid down in the regulations or has been exempted from such qualifications under sub-section (1) of section 22-E ;

(b) has been recommended by the selection committee constituted under sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be, of the said section and approved by the Director:

Provided that where the Director is satisfied that for any affiliated institution, no candidate possessing all the qualifications laid down in the regulations is available for appointment, he may permit the affiliated institution to employ as a temporary measure any suitable person for a period not exceeding one year :

Provided further that such period of one year may be extended with prior approval of the Director :

Provided also that in the case of leave vacancy or of a vacancy occurring for a part of the session of the affiliated institution, it shall be lawful for the Committee of Management to appoint a Principal or teacher, and in that case information of such an appointment shall be given forthwith to the Director.

(2) The name of the selected candidate shall be forwarded for approval to the Director alongwith the list showing the names, qualifications and such other particulars, as may be laid down by regulations, of all candidates who may have applied for selection.

(3) The Director shall give his decision within two weeks of the receipt of the relevant papers mentioned in sub-section (2), failing which approval shall be deemed to have been accorded.

(4) Where the Director disapproves, for reasons to be recorded in writing, of any name proposed under sub-section (1), the Management may, within three weeks of the receipt of the disapproval, make a representation against it to the State Government whose decision in the matter shall be final.

(5) Where a recommendation made under sub-section (2) has been disapproved and the representation of the Management, if any, under sub-section (4) has been rejected, the selection committee shall proceed to select and recommend another name for approval as provided by section 22-E and this section.

(6) Where the selection made under sub-section (5) is again disapproved and the representation, if any, against the disapproval has not been accepted, the Director may appoint any qualified person out of the list of the candidates applying for the vacancy and such appointment shall be final.

22-G. (1) No Principal or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with removal, etc. notice of termination of service except with the prior approval in writing of the Director, whose decision shall be communicated within such period as may be provided by regulations.

(2) The Director may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the Management:

Provided that in the case of a punishment, before passing orders, the Director shall give an opportunity to the Principal or the teacher to show cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be approved.

(3) Nothing in this section shall apply to an order of suspension during the pendency or in contemplation of an inquiry.

Amendment of section 23.

5. In section 23 of the principal Act, in sub-section (2)—

(i) for clause (j) the following clause shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:—

“(j) the qualifications, conditions of service, scales of pay and strength of teaching and non-teaching staff of affiliated institutions.”

(ii) in clause (r), the word “and” at the end shall be omitted and after the said clause, the following clauses shall be inserted, namely:—

“(ra) the powers, duties and functions of Principal and the Committee of Management;

(rb) the principles under which approval to a Scheme of Administration may be accorded;

(rc) the period of time during which a representation may be made to the Director under sub-section (2) of section 22-C;

(rd) the period of time on the expiry of which a draft Scheme of Administration shall be deemed to have been approved by the Director under the proviso to sub-section (2) of section 22-C;

(re) the period of time during which a representation may be made by an affiliated institution under the proviso to sub-section (3) of section 22-C;

(rf) the constitution of the selection committee referred to in sub-section (2) and sub-section (3) of section 22-E, the conduct of business at their meetings, and the preparation of regional panels;

(rh) the particulars to be forwarded to the Director under sub-section (2) of section 22-F;

(ri) all matters relating to the appointment and conditions of service of Principals and teachers of affiliated institutions;”

प्राज्ञा से,

कलाश नाथ गोयल,

सचिव।